न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:- राजकोश मीणा आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 36/2022

वादीनी:-

संतोषी पुत्री श्री मोहनराम, पत्नी श्री चन्द्राराम, जाति मेघवाल, निवासी भैरूसागर, तहसील ओसियां, हाल निवासी चेराई, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. गोपालराम पुत्र श्री मोहनराम, जाति मेघवाल, निवासी भैरूसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

वादीनी की ओर से – अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान।
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:- 14/6/22

वादीनी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि:- वादीनी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 524/1 रकबा 1.3678 हैक्टेयर ग्राम भैरूसागर, तहसील ओसियां की सरहद मे आई हुई है। उपरोक्त भूमि वादीनी की पैतृक भूमि है जो पूर्व में वादीनी के पिताजी के नाम से दर्ज थी वादीनी के पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 05.11.1981 को हो चुका है तथा वादीनी की माता श्रीमति चनणी का भी स्वर्गवास दिनांक 02.01.2019 को हो चुका है तथा वादीनी के माता–पिता का स्वर्गवास होने बाद जरिये उतराधिकार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो रखा है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि में वादीनी का पिछले 20 वर्षो से शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 पिछले 20 वर्षो से अधिक समय से लापता है। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 की काफी खोज की परन्तु आज तक

सहायक कलेक्टर, ओसियां

कहीं पर भी उनके जीवित होने का पता नहीं चला है। प्रतिवादी संख्या 1 की विधि अनुसार सिविल डेथ हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 अविवाहित था जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक उत्तराधिकारी एक मात्र वादीनी ही है जो प्रतिवादी संख्या 1 की सगी बहन है प्रतिवादी संख्या 1 के दुसरा कोई भाई–बहन नहीं है। इसलिए वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 की सिविल डेथ होने से प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि अपने नाम से घोषित करवाने की अधिकारीणी है। वादीनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की गुमशुदगी रिपार्ट पुलिस थाना ओसियां में दर्ज करवाई हुई जिसमें अंतिम रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 को पेश की गई जिसके अनुसार भी वादीनी का भाई गोपालराम 20–25 वर्षो से लापता है जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। वादग्रस्त भूमि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार होने से वादीनी को वादगस्त भूमि में विकास कार्य करवाने, विद्युत कनेक्शन लेने, निर्माण करने, बैंक लोन इत्यादि कार्य करवाने में कठिनाई होती है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का कोई पता नहीं चला है इस कारण से उक्त भूमि वादीनी अपने नाम से खातेदारी घोषणा करवाना चाहती है।

वाद के अंत में वादीनी ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर उसकी सिविल डेथ हो जाने के कारण वादीनी को खातेदार घोषित करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने की प्रार्थना की है।

वादीनी का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 पिछले 20 वर्षो से गुमशुदा है उसका आज तक कोई अता पता नहीं है जिस पर न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 का समन अखबार में शाया करने का आदेश दिया माफिक आदेश वादीनी द्वारा स्थानिय दैनिक अखबार **दैनिक भास्कर** में समन शाया किया जाकर एक प्रति न्यायालय में पेश की जो संलग्न पत्रावली की गई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीनी की तरफ से बतौर पी डब्ल्यू एक के कोर्ट में बयान करवाये गये एवं वाद प्रदर्श–01, जमाबंदी की नकल प्रदर्श–02, गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श–03, वादीनी का आधार कार्ड प्रदर्श–4, वादीनी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–5, वादीनी की माता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श– 6 अखबार में आम सूचना प्रदर्श–7 करवाये गये तथा वादी की साक्ष्य बन्द की गई एवं प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

वकुलाय पक्षकार की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीनी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते

हुए बताया कि धारा 108 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति का 7 वर्ष से अधिक समय तक कोई पता या जानकारी नहीं है तो उसकी विधि अनुसार सिविल डेथ मानी जाती है, प्रतिवादी संख्या 1 पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से लापता है प्रतिवादी संख्या 1 की माता भी स्वर्गवास हो चुका है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 की सिविल डेथ मानी जाकर उसके स्थान पर उसकी बहन वादीनी को खातेदार घोषित किया जावे।

हमने वादीनी के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबुत का विवेचन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस थाना में दर्ज है इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से यह पाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 पिछले 20 वर्षो से भी अधिक समय से लापता है तथा उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है तथा विधि अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की सिविल डेथ मानी जा सकती है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम भैरूसागर के खसरा नम्बर 524/1 रकबा 1.3628 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की सिविल डेथ मानते हुए उसका नाम राजस्व रेकर्ड में से हटाया जावें तथा उसके स्थान पर वादीनी संतोषी पुत्री मोहनराम को खातेदार घोषित किया जाता है किन्तु यदि भविष्य में कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 जीवित पाया जाता है तो वह वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा यथावत कर निर्णय से पूर्व की स्थिति में प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा यह निर्णय स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इस कदर डिक्री पर्चा जारी किया जावें, खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। प्रतिवादी संख्या 2 आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में निर्णय की पालना करावें। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर की जावें।

सहायक कलक्टर, ओसियां

आज दिनांक 14/6/2022 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, ओसियां

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑडर 21, रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी **राजकेश मीणा।**

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
संतोषी पुत्री श्री मोहनराम, पत्नी श्री चन्दाराम, जाति मेघवाल, निवासी भैरूसागर, तहसील ओसियां, हाल निवासी चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।		1. गोपालराम पुत्र श्री मोहनराम, जाति मेघवाल, निवासी भैरूसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर। 2. तहसीलदार ओसियां।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

वाद संख्याः– 36/2022

वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार वाद पत्र मे निर्णय अनुसार इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 की सिविल डेथ मानते हुए उसका नाम राजस्व रेकर्ड में से हटाया जावें तथा उसके स्थान पर वादीनी संतोषी पुत्री मोहनराम को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

यह आज तारीख 14/6/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

निज — मुबलिग — बाबत् — खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/6/2022 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

नोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर ओसियां